(अपील संख्या एस–11–2117/ए/2025)

श्री अवधेश कुमार शर्मा बनाम जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम, 07 वां तल, शक्ति भवन विस्तार, जनपद– लखनऊ।

समक्ष–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 राज्य सूचना आयुक्त।

आदेश

धारा 6(1)	मांगी गई सूचना/अनुतोष
20.08.2025	इस प्रकरण में अपीलार्थी ने स्वयं से प्रेषित उच्चाधिकारियों की ई–मेल पर शिकायती पत्र दिनांक ०२.०८.२०२५ के क्रम में पत्र प्राप्ति की तिथि से सूचना दिये जाने की तिथि तक की गयी दिन प्रतिदिन की कार्यवाही एवं अद्यतन स्थिति की जानकारी मय कार्यालय नोटशीट की प्रमाणित छायाप्रति मांगी है।

अपीलार्थी श्री अवधेश कुमार शर्मा स्वयं उपस्थित हैं। विपक्षी जनसूचना अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम, 07 वां तल, शक्ति भवन विस्तार, जनपद– लखनऊ की ओर से श्री प्रखर गोस्वामी, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी उपस्थित हुए। प्रश्नगत मामले में गत सुनवाई दिनांक 07.01.2026 को अन्तिम अवसर निर्गत करते हुए जनसूचना अधिकारी से अपेक्षा की गई थी कि अपीलार्थी को वांछित सूचनाएं 15 दिन के भीतर टेबलफार्म में बिन्दुवार (यदि संलग्नक है तो साथ में संलग्न करें) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराएं अन्यथा उनके विरुद्ध ''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' की धारा 20(1) के अन्तर्गत रु0 25,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।किन्तु आज सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी न तो उपस्थित हैं और न ही उनका कोई लिखित अभिकथन पत्रावली पर उपलब्ध है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है।

अतः न्यायहित में जनसूचना अधिकारी को **पुनः अन्तिम अवसर** प्रदान करते हुए अपीलार्थी का मूल आवेदन पत्र संलग्न कर इस आशय की नोटिस निर्गत की जाए कि वांछित सूचनाएं अपीलार्थी को 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराएं अन्यथा उनके विरुद्ध ''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' की धारा 20(1) के अन्तर्गत रु0 25,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

वाद सुनवाई के लिए दिनांक 31.03.2026 को प्रस्तुत हो।

25.02.2026